



आचार संहति के लिए आपूर्तकिर्ता द मेलटिा गुरुप



सामग्री

प्रस्तावना	3
हमारी पहुँच.....	4-5
I. नैतिक मानक	6-7
1. लागू किये गए कानूनों का अनुपालन और मानव अधिकारों के प्रति सम्मान	6
2. निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा और नैतिक व्यावहारिक प्रथाएं	6-7
II. श्रम और सामाजिक मानक	8-12
1. कोई बाल श्रम नहीं.....	8
2. युवा लोगों के लिए विशेष सुरक्षा	8
3. कोई बेगारी नहीं.....	8
4. कोई भेदभाव, हिसा या नहीं उत्पीड़न	9
5. उचित भुगतान	10
6. उचित काम के घंट.....	10-11
7. स्वास्थ्य और व्यावसायिक सुरक्षा	11
8. इकठ्ठा होने की स्वतंत्रता और सामूहिक सौदेबाजी	12
9. कोई अनश्चित रोज़गार नहीं	12
III. पर्यावरण मानक.....	13
IV. शिकायत प्रक्रिया	14

प्रस्तावना

नैतिक व्यावसायिक प्रथाएं और ज़िम्मेदार व्यवहार हमारी कंपनी की लंबे-समय से सफलता का आधार है। यह भी हमारे मूल्य और विश्वास को व्यक्त करने का एक तरीका है। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि हमारे आपूर्तिकर्ता भी इन सद्धिांतों को लागू करेंगे, आपूर्तिकर्ताओं के लिए इस आचार संहिता में निर्धारित मानकों का पालन करेंगे और पूरी आपूर्तिशृंखला में अनुपालन को बढ़ावा देंगे।

इसके लिए संदर्भ ढाँचा मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा है संयुक्त राष्ट्र, आर्थिक संगठन द्वारा बहुराष्ट्रीय उद्यमों के लिए दशान्तिदेश सहयोग और विकास (ओईसीडी)(OECD), व्यापार और आर्थिक पर संयुक्त राष्ट्र मार्गदर्शक सद्धिांत मानव अधिकार (यूएनजीपी) (UNGP) के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के सम्मेलन (ILO).

आपूर्तिकर्ताओं के लिए यह आचार संहिता सभी आपूर्तिकर्ताओं को संबोधित है और यह हमारे आपूर्तिकर्ता अनुबंधों और खरीद के नयिमों और शर्तों का हिस्सा है। यह सतत विकास नीतिविवृतव्य और मेलटि आचार संहिता पर आधारित है।

आपूर्तिकर्ताओं के लिए यह आचार संहिता जर्मन स्टॉक कॉर्पोरेशन अधिनियम (एक्टिंगेसेटज़ - एक्टिंगेनजी) की धारा 15 के अनुसार मेलटि समूह से संबद्ध सभी कंपनयों और डविजनों पर लागू होती है। नमि्नलखिति में, "मेलटि" निष्कर्ष के लिए ज़िम्मेदार प्रभागों को संदर्भित करता है और अनुबंध को लागू करता है।

हमारी पहुँच

प्रत्येक कंपनी को सबसे पहले अपने देश में कानूनी आवश्यकताओं का अनुपालन करना चाहिए।

ऐसे देशों में जहां स्थानीय कानून और नयिम आपूर्तकिर्ताओं के लिए मेलटा आचार संहिता का वरिध करते हैं या नमिन स्तर की सुरक्षा प्रदान करते हैं, आपूर्तकिर्ताओं को उच्चतम स्तर की श्रमकि सुरक्षा सुनिश्चित करने के तरीके खोजने चाहिए और, न्यूनतम, मेलटा समूह के सतत विकास नीतिविवरण में निर्धारित पर्यावरणीय प्रतबिद्धताओं का अनुपालन करना।

मेलटा का इरादा मानव अधिकारों पर नकारात्मक प्रभावों के कारणों की और जांच करने का है, खासकर जब क्षेत्रों या उद्योगों से स्रोत हो जोखमि। प्रभावी ढंग से रोकने और संबोधित करने के लिए ऐसे नकारात्मक मानवाधिकार प्रभावों के लिए मेलटा उचित परशिरम के साथ कार्य करती है और ऐसा करने के लिए आवश्यक प्रबंधन प्रणाली, नीतियां और प्रक्रियाएं विकसित करती है। मेलटा के पास आपूर्तकिर्ताओं के लिए आचार संहिता में निर्धारित मानकों के अनुपालन को सही साबित करने का अधिकार सुरक्षित है। इसमें ऑडिट भी शामिल है, जो स्वतंत्र ऑडिटिंग कंपनियों द्वारा भी किया जा सकता है। ये ऑडिट पहली सूचना के बाद सामान्य व्यावसायिक घंटों के भीतर किए जाएंगे।

मेलटा वर्ष में कम से कम एक बार और जोखमि स्थितियों की स्थिति में तदर्थ आधार पर जोखमि विश्लेषण और नवारिक उपायों की प्रभावशीलता की समीक्षा करता है।

आपूर्तकिर्ताओं के लिए आचार संहिता नैतिकता के लिए एक अनविर्य ढांचा प्रदान करती है हमारे आपूर्तकिर्ताओं का सर्वोत्तम व्यावसायिक व्यवहार और जमिमेदार, अनुपालनपूर्ण व्यवहार है। हमारे आपूर्तकिर्ताओं को अपने स्वयं के व्यावसायिक भागीदारों के बीच आपूर्तकिर्ताओं के लिए इस आचार संहिता में परभाषित मूल्यों और सदिधांतों का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए हमारे आपूर्तकिर्ता अपनी स्वयं की आचार संहिता का उल्लेख कर सकते हैं यद्यिह आपूर्तकिर्ताओं के लिए इस मेलटा आचार संहिता के मानकों को पूरी तरह से दर्शाता करता है।

आपूर्तकिर्ताओं के लिए इस आचार संहिता में निर्धारित मानकों के उल्लंघन की स्थिति में, संबंधित आपूर्तकिर्ता को तुरंत समाधान के लिए मेलटा के साथ एक कार्य योजना का मसौदा तैयार करना होगा और समन्वय करना होगा या उल्लंघन के प्रभाव को कम करना होगा।

मेलटा, आपूर्तकिर्ता के साथ आपूर्तिशृंखला में कुछ चुनौतियों के संबंध में रचनात्मक बातचीत शुरू कर सकता है। किसी आपूर्तकिर्ता के साथ व्यावसायिक संबंध या अनुबंध की समाप्ति को अंतमि उपाय माना जाता है। वशिष रूप से यह मामला हो सकता है, यदि आपूर्तकिर्ताओं के लिए इस आचार संहिता का गंभीर उल्लंघन हुआ हो या इसमें निर्धारित मानकों को पूरा करने के लिए आवश्यक उपाय करने की इच्छा की कमी हो। आपूर्तकिर्ताओं के लिए आचार संहिता।



I. नैतिक मानक

1. लागू किये गए कानूनों का अनुपालन और मानवाधिकारों का सम्मान

हमारे आपूर्तकिर्ता हर समय उन देशों के लागू कानूनों और वनियमों का अनुपालन करते हैं जिनमें वे काम करते हैं। यह इस पर ध्यान दएि बना लागू होता है कसिरकारी प्राधकारियों द्वारा अनुपालन का सत्यापन कया गया है या नहीं।

इसके अलावा, हमारे आपूर्तकिर्ता मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, आईएलओ (ILO) कोर श्रम मानकों और नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध (आईसीसीपीआर) (ICCPR) के साथ-साथ में नर्धारित मानव अधिकारों का सम्मान करते हैं और उनका पालन करते हैं। आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध (आईसीईएससीआर) (ICESCR)।

2. नष्पिक्क्ष प्रतस्पर्धा और नैतिक व्यावसायिक प्रथाएँ

हमारे आपूर्तकिर्ता अपने व्यावसायिक साझेदारों और तीसरे पक्षों के साथ उचित व्यवहार करते हैं और नष्पिक्क्ष एवं प्रामाणिक प्रतस्पर्धा का समर्थन करते हैं। वे किसी भी प्रकार क भ्रष्टाचार या अनुचित लाभ देने या स्वीकार करने को बर्दाश्त नहीं करते हैं। वे बहुराष्ट्रीय उद्यमों के लिए वर्तमान ओईसीडी (OECD) दशानर्देशों की सफारिशों द्वारा नर्देशित होकर भ्रष्टाचार से नपिटने के लिए उचित उपाय करते हैं।

हमारे आपूर्तकिर्ता मेलटि के कर्मचारियों या प्रतनिधियों या सरकारी अधिकारियों के प्रतनिधियों को कोई लाभ नहीं देते ह व्यवसाय या आधिकारिक नर्णियों को अनजाने में प्रभावित करना। यह वशिष रूप से माना जाना चाहएि यदइस लाभ की प्रकृति और सीमा प्राप्तकर्ता के कार्यों और व्यावसायिक नर्णियों को अनजाने में प्रभावित कर सकती है।

नःसंदेह, कोई भी तीसरा पक्ष जैसे दलाल, प्रायोजक, एजेंट, या अन्य मध्यस्थों का उपयोग इस नयिम का वरिध करने के लिए कया जा सकता है। नमित्रण और उपहार एक प्रथागत और उचित सीमा से अधिक हो तो ऐसे अनुचित लाभ हो सकते हैं। यह वशिष रूप से तब लागू होता है जब प्रकृति और उस लाभ की सीमा कार्यों और नर्णियों को अनुचित रूप से प्रभावित करने की संभावना है। सार्वजनिक अधिकारियों के साथ व्यवहार करते समय वशिष सावधानी बरती जानी चाहएि, क्योंकि इस संबंध में कानूनी आवश्यकताएँ वशिष रूप से सख्त हैं।

सभी आपूर्तकिर्ताओं को उन स्थितियों से बचना चाहएि जिनमें उनके व्यक्तिगत हति या उनके कर्मचारियों के हति मेलटि के हतों के साथ टकराव हो सकते हैं। यह वशिष रूप से प्रतस्पर्धियों, ग्राहकों, आपूर्तकिर्ताओं और व्यावसायिक भागीदारों के साथ वत्तीय, पारिवारिक या करीबी व्यक्तिगत रश्तों पर लागू होता है। आपूर्तकिर्ताओं को हतों के किसी भी संभावित

टकराव की सूचना मेलटि को देनी होगी। हमारे आपूर्तकिर्ता मेलटि समूह की आंतरिक जानकारी को गोपनीय रखते हैं और व्यापार रहस्यों की रक्षा करते हैं।

प्रत्येक व्यक्ति के लिए डेटा सुरक्षा और गैर-सार्वजनिक की गोपनीयता मेलटि के साथ व्यापारिक संबंध समाप्त होने के बाद भी जानकारी को संरक्षित कया जाना चाहएि।

हमारे आपूर्तकिर्ता व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा करते हैं और डेटा सुरक्षा पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का अनुपालन करते हैं। वे संसाधित जानकारी और डेटा की गोपनीयता, अखंडता और पहुंच भी सुनश्चित करते हैं। सभी आपूर्तकिर्ता तीसरे पक्ष की बौद्धिक संपदा (जैसे पेटेंट, डजिाइन, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और संरक्षित जानकारी) का सम्मान करते हैं। किसी भी नष्पिध उपयोग को बाहर रखा गया है।

II. श्रम और सामाजिक मानक

1. कोई बाल श्रम नहीं

हमारे आपूर्तिकर्ता, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उन बच्चों को नयोजित नहीं करने का वचन देते हैं, जो अभी तक अनिवार्य स्कूली शिक्षा की समाप्त के लिए वैधानिक कानूनी उम्र तक नहीं पहुंचे हैं, जो कि 15 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, जब तक कि आईएलओ (ILO) द्वारा मान्यता प्राप्त छूट लागू होती है। अपनी नयुक्ति प्रक्रिया के हिससे के रूप में हमारे आपूर्तिकर्ता विश्वसनीय आयु सत्यापन तंत्र का उपयोग करते हैं। आईएलओ (ILO) कन्वेंशन 148 और 182 के साथ-साथ आईएलओ (ILO) अनुसंधान 146 भी लागू होती है।

2. युवाओं के लिए विशेष सुरक्षा

हमारे आपूर्तिकर्ता यह सुनिश्चित करते हैं कि युवा लोग रात में काम न करें, काम की प्रकृति युवा लोगों के स्वास्थ्य या विकास को खतरे में न डाले, और यह काम के घंटे स्कूल में उपस्थिति, किसी मान्यता प्राप्त व्यावसायिक स्कूल में भागीदारी में हस्तक्षेप न करें। या आगे के शिक्षा कार्यक्रम। आईएलओ (ILO) कन्वेंशन 79 और 142 लागू करें।

3. कोई बेगारी नहीं

हमारे आपूर्तिकर्ता किसी भी प्रकार की गुलामी, जबरन श्रम, ऋण बंधन, मानव तस्करी, या गैर-स्वैच्छिक श्रम में शामिल नहीं होंगे, जिसमें सरकार द्वारा अनिवार्य मजबूर श्रम भी शामिल है, या तो स्वयं या व्यावसायिक भागीदारों के माध्यम से जेल श्रम की भी अनुमति नहीं है।

हमारे आपूर्तिकर्ता नषिपक्ष भर्ती के अंतरराष्ट्रीय संधिधार्तों का अनुपालन करते हैं, जिसमें नयिकता भुगतान संधिधार्त (संपूर्ण भर्ती और मध्यस्थता प्रक्रियाओं की लागत नयिकता के रूप में आपूर्तिकर्ता द्वारा विशेष रूप से की जानी चाहिए) शामिल है और अपने भर्ती भागीदारों से भी इसकी मांग करते हैं।


हमारे आपूर्तिकर्ता कर्मचारियों को अपनी नौकरी छोड़ने और उनके रोजगार अनुबंध को समाप्त करने का अधिकार देते हैं यदि वे राष्ट्रीय कानून द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर नयिकता को सूचित करते हैं। आईएलओ (ILO) कन्वेंशन 29 और 105 लागू होते हैं।

4. कोई भेदभाव, हिसा या उत्पीड़न नहीं

हमारे आपूर्तिकर्ता सभी कर्मचारियों के साथ सम्मान और गरमा के साथ व्यवहार करते हैं। वे यह सुनिश्चित करेंगे कि कर्मचारियों को कार्यस्थल पर हिसा, उत्पीड़न, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार का सामना न करना पड़े, न ही हिसा और अपमान की धमकियों का सामना करना पड़े, जिसमें शारीरिक दंड, मौखिक दुरव्यवहार, शारीरिक, यौन, आर्थिक या मनोवैज्ञानिक, दुरव्यवहार, मानसिक या शारीरिक जबरदस्ती शामिल है। उत्पीड़न के अन्य रूप, या धमकी।

हमारे आपूर्तिकर्ता लिंग, लिंग, आयु, धर्म या विश्वास, मूल, सामाजिक पृष्ठभूमि, वकिलांगता, वंश, राष्ट्रियता, ट्रेड यूनियनों या अन्य वैध संगठनों की सदस्यता, राजनीतिक संबद्धता, के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करने या उसे बाहर नहीं करने का भी वचन देते हैं। (जब तक यह लोकतांत्रिक संधिधार्तों पर आधारित है), यौन अभिविन्यास, पारिवारिक जन्मिदारियां, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था, स्वास्थ्य स्थिति, या कोई अन्य मामला जो यहां प्रश्न में आता है।

हमारे आपूर्तिकर्ता भर्ती और नयिकता में समानता और समानता सुनिश्चित करते हैं। आईएलओ (ILO) कन्वेंशन 100, 111 और 159 लागू होते हैं।



5. उचित भुगतान

हमारे आपूर्तिकर्ता कम से कम कानूनी रूप से आवश्यक भुगतान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं न्यूनतम मजदूरी या सामूहिक सौदेबाजी में निर्धारित उद्योग मानक के अनुरूप मजदूरी, जो कोई उच्चतर हो। वेतन नियमिति कार्य घंटों पर लागू होता है। रोजगार अनुबंध हमेशा लिखित रूप में संपन्न होना चाहिए।

हमारे आपूर्तिकर्ता नियमिति, समय पर और विश्वसनीय ढंग से वेतन का भुगतान करते हैं पूरी तरह से भुगतान के कानूनी साधनों के साथ। हमारे आपूर्तिकर्ता अपने कर्मचारियों को वे सामाजिक लाभ प्रदान करते हैं जिनके वे कानूनी रूप से हकदार हैं, उनके वेतन, करियर स्तर, स्थिति या पदोन्नतिकी संभावनाओं पर नकारात्मक प्रभाव डाले बिना। कर्मचारियों द्वारा भुगतान किए गए कार्य उपकरण की लागत पूरी तरह से नियोजित द्वारा प्रतिलिपित की जाती है।

हमारे आपूर्तिकर्ता सुनिश्चित करते हैं कि समान कार्य और योग्यता वाले आप्रवासी और स्थानीय कर्मचारियों को समान भुगतान दिया जाए। आईएलओ (ILO) कन्वेंशन 26 और 131 लागू करें।

6. काम के लिए उचित घंटे

हमारे आपूर्तिकर्ता यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि उनके कर्मचारी प्रति सप्ताह 48 घंटे से अधिक काम न करें। आईएलओ (ILO) द्वारा मान्यता प्राप्त छूटों को ध्यान में रखा जाता है।

हमारे आपूर्तिकर्ता आईएलओ (ILO) द्वारा स्थापित अंतर्राष्ट्रीय ढांचे के भीतर लागू राष्ट्रीय कानूनों, उद्योग मानकों या सामूहिक समझौतों की व्याख्या करते हैं।

हमारे आपूर्तिकर्ता आईएलओ (ILO) द्वारा स्थापित अंतर्राष्ट्रीय ढांचे के भीतर लागू राष्ट्रीय कानूनों, उद्योग मानकों या सामूहिक समझौतों की व्याख्या करते हैं। इसके परिणामस्वरूप व्यावसायिक दुर्घटनाओं का बहुत अधिक जोखिम नहीं होना चाहिए और किसी भी परिस्थिति में वे राष्ट्रीय कानून के तहत लागू सीमाओं से अधिक नहीं हो सकते।

हमारे आपूर्तिकर्ता अपने कर्मचारियों को प्रत्येक कार्य दिवस पर अवकाश का अधिकार देते हैं, साथ ही हर सात दिनों में कम से कम एक दिन की छुट्टी का अधिकार, जब तक कि सामूहिक समझौतों से अपवाद लागू न हो। आईएलओ (ILO) कन्वेंशन 1 और 14 और आईएलओ (ILO) अनुसंधान 116 लागू करें।

7. व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा

हमारे आपूर्तिकर्ता कर्मचारियों और स्थानीय समुदायों के स्वस्थ कामकाजी और रहने की स्थिति के अधिकार का सम्मान करते हैं। कमजोर व्यक्तियों, जिनमें युवा लोग, गर्भवती महिलाएं और माताएं और वकीलांग व्यक्ति शामिल हैं, विशेष सुरक्षा का आनंद लेते हैं।

हमारे आपूर्तिकर्ता राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा कानूनों का अनुपालन करते हैं या अंतर्राष्ट्रीय मानक, जो भी प्रदान करता है सुरक्षा का उच्चतम स्तर। वे दुर्घटनाओं, चोटों को रोकने के लिए प्रभावी उपाय करेंगे या उनके कर्मचारियों को काम के दौरान, काम के दौरान या काम के परिणामस्वरूप होने वाली बीमारियाँ।

यदि आवश्यक हो तो हमारे आपूर्तिकर्ता सभी कर्मचारियों को प्रभावी और पर्याप्त व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) नि:शुल्क प्रदान करते हैं। विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों, जैसे गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं, की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए।

हमारे आपूर्तिकर्ता पर्याप्त व्यावसायिक स्वास्थ्य देखभाल और सुविधाएं प्रदान करते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि सभी कर्मचारियों की उन तक समान पहुंच हो। स्वास्थ्य सेवाएं (सहति) बीमा) को सभी के विभिन्न हितों और जरूरतों को पूरा करना चाहिए।

हमारे आपूर्तिकर्ता सुरक्षा और स्वच्छ पेयजल, खाने और आराम करने के क्षेत्रों और भोजन तैयार करने और भंडारण की सुविधाओं के साथ-साथ पर्याप्त संख्या में सुरक्षा और अलग किए गए पानी तक पहुंच सुनिश्चित करते हैं। सभी लोगों के लिए शौचालय। आईएलओ (ILO) कन्वेंशन लागू होता है 155 और आईएलओ (ILO) सफ़ाई 164।

III. पर्यावरण मानक

8. संघ और सामूहिक सौदेबाजी की स्वतंत्रता

हमारे आपूर्तिकर्ता कर्मचारियों के ट्रेड यूनियन बनाने और उसमें शामिल होने के अधिकार - और ऐसा न करने के अधिकार - के साथ-साथ स्वतंत्र और लोकतांत्रिक सामूहिक सौदेबाजी के अधिकार का सम्मान करते हैं।

ट्रेड यूनियन सदस्यता के आधार पर हमारे आपूर्तिकर्ताओं द्वारा किसी भी कर्मचारी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता है। आईएलओ (ILO) कन्वेंशन 87, 98 और 135 और आईएलओ (ILO) अनुशंसा 143 लागू होते हैं।

9. कोई अनश्चिति रोजगार नहीं

हमारे आपूर्तिकर्ताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी भर्ती प्रक्रियाएं और रोजगार संबंध उनके श्रमिकों के लिए असुरक्षा और सामाजिक या आर्थिक भेद्यता का कारण न बनें। वे यह भी सुनिश्चित करते हैं कि कार्य एक मान्यता प्राप्त और प्रलेखित रोजगार संबंध के आधार पर किया जाता है जो लागू राष्ट्रीय कानूनों, रीति-रिवाजों या प्रथाओं और अंतरराष्ट्रीय श्रम मानकों, जो भी अधिक सुरक्षा प्रदान करता है, का अनुपालन करता है।

रोजगार अनुबंध समाप्त करने से पहले, हमारे आपूर्तिकर्ता श्रमिकों को उनकी पहली भाषा में समझने योग्य जानकारी प्रदान करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि वे अपने अधिकारों, ज़िम्मेदारियों और कामकाजी परिस्थितियों को जानें, जिसमें काम के घंटे, पारिश्रमिक और भुगतान की शर्तें भी शामिल हैं।

हमारे आपूर्तिकर्ताओं को रोजगार संबंधों का उपयोग इस तरह से नहीं करना चाहिए जो जानबूझकर कानून के इरादे को पूरा करने में विफल हो। यह भी शामिल है, लेकिन (ए) प्रशिक्षुता या प्रशिक्षण कार्यक्रमों तक सीमिति नहीं है जहां कौशल प्रदान करने या रोजगार प्राप्त करने का कोई इरादा नहीं है, और (बी) मौसमी या अस्थायी काम जहां यह कर्मचारी सुरक्षा को कमजोर करने का काम करता है।

हमारे आपूर्तिकर्ताओं को इस तरह से उपठेका नहीं देना चाहिए जिससे कर्मचारी अधिकारों का हनन हो।

हम उम्मीद करते हैं कि हमारे आपूर्तिकर्ता पर्यावरण संरक्षण के लिए अपनी ज़िम्मेदारी को गंभीरता से लेंगे।

इसमें, विशेष रूप से, उत्पादन प्रक्रियाओं के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करना शामिल है, पर्यावरण की रक्षा के लिए नई प्रक्रियाओं का विकास करना शामिल है नए उत्पादों को इस तरह से डिज़ाइन करना कि प्राकृतिक संसाधन संरक्षित रहें और कुशलतापूर्वक उपयोग किया गया। आपूर्तिकर्ताओं को हमेशा अपने उत्पादों के लिए उच्चतम सुरक्षा और गुणवत्ता के लिए प्रयास करना चाहिए।

हमारे आपूर्तिकर्ता प्रासंगिक राष्ट्रीय कानूनों का अनुपालन करने के लिए बाध्य हैं। इसके अलावा, निम्नलिखित पर्यावरण समझौते लागू होते हैं:

- 2013 का बुध पर मनामाता कन्वेंशन
 - 2004 का सतत कार्बनिक प्रदूषकों पर स्टॉकहोम कन्वेंशन
 - सीमापार नयित्रण पर बेसल कन्वेंशन
- 1989 के खतरनाक अपशिष्टों के आंदोलन और उनका निपटान

हमारे आपूर्तिकर्ता अपने संचालन के पर्यावरणीय प्रभावों की पहचान करने और समुदायों, निवासियों और उनके आसपास के प्राकृतिक संसाधनों के साथ-साथ सामान्य रूप से जलवायु और पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभावों को रोकने, कम करने और समाप्त करने के लिए उचित उपाय करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

हमारे आपूर्तिकर्ता मट्टी, पानी और हवा में हानिकारक प्रदूषण या हानिकारक शोर उत्सर्जन नहीं करने और अत्यधिक पानी की खपत से बचने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

इसके अलावा, वे गैरकानूनी बेदखली और भूमि, जंगल और पानी के गैरकानूनी अभाव में शामिल नहीं होने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारे आपूर्तिकर्ता स्वदेशी लोग और स्थानीय समुदाय जैसे उन अधिकार धारकों पर विशेष ध्यान देते हैं जिन्हें विशेष रूप से सुरक्षा की आवश्यकता होती है।

IV. शिकायत प्रक्रिया

आपूर्तिकर्ताओं के लिए यह आचार संहिता हमारे सभी आपूर्तिकर्ताओं पर लागू होती है।

यदि किसी आपूर्तिकर्ता को अपने किसी कर्मचारी या व्यावसायिक भागीदार पर आपूर्तिकर्ताओं के लिए इस आचार संहिता का उल्लंघन करने का संदेह है, तो उसे तुरंत मेलिटो को सूचित करना होगा।

यदि कंपनी ऑडिट के अधीन है, तो आपूर्तिकर्ता मेलिटो के साथ पूर्ण सहयोग करने के लिए बाध्य है।

हम अपने व्यापार भागीदारों को अनुपालन के क्षेत्र में चुनौतियों और अनैतिक व्यापार प्रथाओं के पहलुओं पर खुलकर चर्चा करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। कंपनी और उनके व्यापारिक साझेदारों के साथ। व्यक्ति, जैसे कि आपूर्तिकर्ताओं या अन्य तृतीय पक्षों के कर्मचारी, मेलिटो अनुपालन कार्यालय को आपूर्तिकर्ताओं के लिए इस आचार संहिता के संभावित उल्लंघन की रिपोर्ट कर सकते हैं।

इसके अलावा, कोई भी व्यक्ति आपूर्तिकर्ताओं के लिए इस आचार संहिता के मूल्यों और सदिशान्तों के संदर्भित उल्लंघन की रिपोर्ट गोपनीय और गुमनाम रूप से उचित माध्यम से कर सकता है। मेलिटो के अनुपालन रिपोर्टिंग चैनल (speakup.melitta.de).





www.melitta-group.com

कानूनी सूचना
मेलटिा अनटर्नहेमेसग्रुप बेट्ज़ केजी द्वारा प्रकाशति
रेडकशन ज़ेन्ट्रालबेरेइच कम्प्युनकिशन और नाचल्टगिंकेइट, मैरपिनस्ट्रेस 88, 32425 मडिन,
दूरभाष: + 49 571 40 46-0, फ़ैक्स: + 49 571 40 46-499, ई-मेल: due.diligence@melitta.de
चत्तिरण DAQ, बारसलियोना / डजिाइन ड्रेइकार्टेल, मुन्चेन

© 2022 मेलटिा ग्रुप ऑफ़ कंपनीज बेट्ज़ केजी